तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर … अहकाम … हुक्म के … में जा…
16-6-2021	कोविड-19 के कारण कोई उप० नहीं। पत्रावली पेश हुई/~~वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर है~~/अवकाश पर हैं/~~अन्य कार्यो में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20-7-2021 को पेश हो। रीडर	
20-7-2021	वकील उभयपक्ष उप०। पुनः बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 27-7-2021 को पेश हो।	
27-7-2021	वकील उभयपक्ष उप०। अ.नि. प्रा० पत्र इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान वादग्रस्त भूमि ख० नं० $\frac{293}{0.26}$ हे०, $\frac{299}{0.29}$ हे० ग्राम सलारपुर ~~की मौके~~ की स्थिति यथावत बनाए रखे, सायलान के कब्जे काश्त मे मजाहमत नहीं करें एवं सायलान को उपरोक्त कृषि भूमि से बेदखल ~~करने~~ करने का प्रयास नहीं करे। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। …कलेक्टर …पुर…	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:21 IST
Reason: SelfAttested

1. [illegible]लाल पुत्र मिश्रया, रैगर निवासी सलारपुर तह. गंगापुर सिटी
2. [illegible] पुत्र मिश्रया, रैगर निवासी सलारपुर तह. गंगापुर सिटी
3. दिनेश पुत्र मिश्रया, रैगर निवासी सलारपुर तह. गंगापुर सिटी
4. धनवाई पुत्री मिश्रया, रैगर निवासी सलारपुर तह. गंगापुर सिटी
5. घीसी देवी बेवा मिश्रया, रैगर नि. सलारपुर तह. गंगापुर सिटी ——सायलान

बनाम

1. महेश पुत्र हजारी, रैगर निवासी सलारपुर तह. गंगापुर सिटी
2. विष्णु पुत्र हजारी, रैगर निवासी सलारपुर तह. गंगापुर सिटी
3. मन्जू पुत्री हजारी, रैगर निवासी सलारपुर तह. गंगापुर सिटी
4. मीरा पुत्री हजारी, रैगर निवासी सलारपुर तह. गंगापुर सिटी
5. शिमला पुत्री हजारी, रैगर निवासी सलारपुर तह. गंगापुर सिटी
6. मु0 सीता बेबा हजारी, रैगर निवासी सलारपुर तह. गंगापुर सिटी
7. नाथूलाल पुत्री जैकिशन, रैगर निवासी सलारपुर तह. गंगापुर सिटी
8. रामप्रसाद पुत्र रामचन्द्र, रैगर निवासी सलारपुर तह. गंगापुर सिटी
9. काडू पुत्र रामस्वरूप, रैगर नि. सलारपुर तह. गंगापुर सिटी ——गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री कैलाश चंद गुप्ता, एडवोकेट, सायलान की ओर से
श्री प्रेमप्रकाश जोशी, एडवोकेट, गैरसायलान की ओर से

निर्णय

सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी ख0नं0 293 रकवा 0.26 है0, ख0नं0 294 रकवा 0.32 है0, ख0नं0 295 रकवा 0.32 है0, ख0नं0 296 रकवा 0.82 है0, ख0नं0 297 रकवा 0.24 है0, ख0नं0 298 रकवा 0.24 है0, ख0नं0 299 रकवा 0.29 है0, ख0नं0 300 रकवा 0.72 है0 कुल किता 8 कुल रकवा 3.21 है0 वाके ग्राम सलारपुर तहसील गंगापुर सिटी में स्थित है जो की सायलान व गैरसायलान 1 ल0 11 की खातेदारी व कब्जे काश्त व [illegible] की भूमि है। सायलान 1 लं0 11 ने वर्णित आराजीयात का मौके पर [illegible] बटवारा कर रखा है, जिसमें वो अपने अपने हिस्से पर काबिज है और काश्त करते चले आ रहे है। सायलान के हिस्से में ख0नं0 293 रकवा 0.26 है0 व ख0नं0 299 रकवा 0.29 है0 कुल किता 2 रकवा 0.55 है0 वाके ग्राम सलारपुर तहसील गंगापुर सिटी आयी है। जिस पर सायलान 1 लं0 5 का कब्जा काश्त है। सायलान ने हाल ही बाजरे

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:21 IST
Reason: Self Attested

उप जिला कलेक्टर

[illegible] काश्त कर रखी है। जो सरसब्ज खडी है। गैरसायलान संख्या 1 [illegible] के हिस्से में ख0नं0 294 रकवा 0.32 है0 भूमि वाके ग्राम सलारपुर [illegible] गंगापुर सिटी आयी है। जिस पर गैरसायलान संख्या 1 लं0 6 का [illegible] काश्त है। वाद पत्र में अंकित प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 मिसरया की [illegible] है तथा रघुनाथ की वारिस उसकी औरत मु0 आनी व पुत्र मिसरया है। [illegible] दोनो मॉ बेटे की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार मिसरया की वारिस [illegible] औरत मु0 मोत्या व उसका पुत्र लक्ष्मीनारायण है। इसके हिस्से में [illegible]0 296 रकवा 0.82 है0 व ख0नं0 300 रकवा 0.72 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 1.54 है0 भूमि वाके भूमि ग्राम सलारपुर तहसील गंगापुर सिटी आयी है जिस पर उक्त दोनो वाद पत्र में अंकित प्रतिवादीगण काबिज है व काश्त कर रहे है। गैरसायल संख्या 7 के हिस्से में ख0नं0 295 रकवा 32 ऐयर भूमि वाके ग्राम सलारपुर तहसील गंगापुर सिटी आयी है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 7 नाथुलाल का कब्जा काश्त है। गैरसायल संख्या 8 के हिस्से में ख0नं0 297 रकवा 0.24 है0 भूमि वाके ग्राम सलारपुर तहसील गंगापुर सिटी आयी है। जिस पर गैरसायल संख्या 8 रामप्रताप का कब्जा काश्त है। गैरसायल संख्या काडू है। इसके पिता रामस्वरूप पुत्र जैकिशन फौत हो चुका है। इसलिये इसके वारिस काडू उसके पुत्र को पक्षकार बनाया गया है। जो कि 1/12 का हिस्सा ख0नं0 298 रकवा 0.24 है0 भूमि वाके ग्राम सलारपुर तहसील गंगापुर सिटी आयी है जिस पर गैरसायल संख्या 9 काडू का कब्जा काश्त है। सायलान ने अपने हिस्से स्वामित्व व कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि ख0नं0 293 रकवा 0.26 है0 व ख0नं0 299 रकवा 0.29 है0 वाके ग्राम सलारपुर तहसील गंगापुर सिटी में अब करीब 1 माह पूर्व बाजरे की फसल बोई है जिसे सायलान अपने परिवार के सदस्यो के साथ उक्त बाजरे की निदाई व गुदाई दिनांक 03.08.2020 को कर रहे थे तो गैरसायल संख्या 1 ता 9 व उसके परिवार के सदस्य एक राय होकर सायलान के हिस्से व कब्जेकाश्त के खेत में घुस आये और कहने लगे कि हम तुम्हे इन खेतो मे काश्त नही करने देंगें तुम्हारे इस बाजरे को जानवरो को [illegible] या बाजरे होने पर काट कर ले जायेगें। वादीगण ने उक्त सभी गैरसायल[illegible] ऐसा करने से मना किया तो वो मारने पीटने पर आमादा हो गये [illegible] मुक्की करने लग गये। गैरसायलान ने सायलान को अपने उक्त दोनो खेतो की निदाई, गुराई नही करने दी। इस कारण सायलान को यह प्रार्थना पत्र अस्थायी पेश करना आवश्यक हुआ है। गैरसायलान झगडालू व सरगना किस्म के व्यक्ति है सायलान की खातेदारी की भूमि वर्णित पैरा नम्बर 4 मे से सायलान को

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 15:14:21 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] कब्जा करने पर आमादा है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर [illegible] को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी [illegible] 293 रकवा 0.26 है0 व ख0नं0 299 रकवा 0.29 है0 ग्राम सलारपुर [illegible] गंगापुर सिटी में जो सायलान के कब्जे काश्त, खातेदारी की भूमि है [illegible] गैरसायलान किसी प्रकार से मजाहमत पैदा नही करें, न ही अन्य किसी से [illegible] एवं सायलान को उपरोक्त कृषि भूमि से बेदखल कर कब्जा नही करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को तलब किया गया।

गैरसायल सं0 1 लगायत 6 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। जिसमे सायल के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जबाब के विशेष विवरण मे अंकित किया है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में विवादित भूमि खसरा नम्बर 293 रकवा 0.63 हेक्टर, खसरा नम्बर 294 रकवा 0.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 295 रकवा 0.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 296 रकवा 0.82 हेक्टर, खसरा नम्बर 297 रकवा 0.24 हेक्टर, खसरा नम्बर 298 रकवा 0.24 हेक्टर, खसरा नम्बर 299 रकवा 0.29 हेक्टर, खसरा नम्बर 300 रकवा 0.72 हेक्टर कुल रकवा 3.11 हेक्टर भूमि ग्राम सलारपुर तहसील गंगापुर सिटी मे से मिश्रया पुत्र श्री पन्ना जाति रैगर निवासी हबीवपुर तहसील गंगापुर सिटी हबीवपुर द्वारा बहक श्री हजारी पुत्र श्री रामचंद रैगर निवासी हबीबपुर के हक में दिनांक 08.04.1996 को तादादी 10/- रूपये के नौन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अपने 1/6 हिस्से को मुबलिग रूपया 50,000/- रूपये मे वय कर गैरसायलान के पिताजी को तत्समय ही कब्जा संभाला दिया गया था तथा खरीद के दिनांक आज तक गैरसायलान संख्या 1 लगायत 6 का कब्जा इस भूमि पर निरन्तर चला आ रहा है। उक्त विक्रय शुदा भूमि वास्ते स्पेशीफिक परफोरमेन्स व चाराजोहीशुदा है। जिसका की तकासमा भूमि मे गैरसायलान के पक्ष मे होना आवश्यक है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र टी0आई0 सायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन ने सायलान ने छायाप्रति नकल जमाबंदी संवत 2071–2074 ग्राम सलारपुर खाता संख्या 104, छायाप्रति नकल नक्शा ट्रेस, फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत 2063–2066 खाता संख्या 93, फोटोकॉपी मृत्यु प्रमाण पत्र मिश्रया पुत्र कजोडया प्रस्तुत किये है।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

उप जिला कलेक्टर एवं सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी
सत्यमेव जयते

[illegible] के समर्थन मे गैरसायलान की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही [illegible] है।

[illegible] विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

[illegible] के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के [illegible] करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि का पक्षकारो के मध्य मौके पर [illegible] हो रहा है जो नक्शा ट्रेस की छायाप्रति से भी स्पष्ट है कि मौके पर [illegible] अलग नम्बर बने हुए है। सायलान के हिस्से मे ख0न0 293 व 299 [illegible] है। जिन पर सायलान का कब्जा काश्त है। गैरसायलान सायलान को [illegible] भूमि के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न करते है इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें।

गैरसायलान के विद्धान वकील ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि सायलान के पिता मिश्रया पुत्र पन्ना रैगर ने दिनांक 8.4.1996 को अपने हिस्से की 1/6 भूमि का विक्रय पचास हजार रूपये मे गैरसायलान 1लगायत 6 के पिता हजारी को कर दिया था तथा इसका एक विक्रय पत्र 10/— के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर जबाबदारान के पिता के पक्ष मे लिख दिया था। अब वादग्रस्त भूमि से सायलान का कोई वास्ता नही है। इसलिए इनका प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। सायलान ने अपने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मे यह तथ्य अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि का मौके पर पक्षकारो के मध्य बहामी बंटवारा हो चुका है। जिसके अनुसार ख0न0 293 रकबा 0.26 है0 व ख0न0 299 रकबा 0.29 है0 ग्राम सलारपुर सायलान के हिस्से मे आये है। जिन पर वादीगण काबिज काश्त है। गैरसायलान तथाकथित फर्जी स्टाम्प की आड मे सायलान को भूमि के कब्जे काश्त मे दखल उत्पन्न करते है। गैरसायलान की ओर से फर्जी स्टाम्प की कोई छायाप्रति या असल स्टाम्प प्रस्तुत नही किया गया है। गैरसायलान 1 लगायत 6 द्वारा प्रस्तुत जबाब के पैरा संख्या 3 में सायलान के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के पैरा 3 को स्वीकार किया है। सायलान के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के पैरा संख्या 3 मे सायलान ने वादग्रस्त भूमि का पक्षकारो के मध्य बहामी बंटवारा होना बताया है। इससे यह स्पष्ट है कि पक्षकारो के मध्य मौके पर भूमि का विभाजन हो रखा है। जहॉ तक सायलान के पिता द्वारा गैरसायलान के पिता को भूमि विक्रय का प्रश्न है, गैरसायलान की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:21 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट

जिससे भूमि विक्रय होना प्रमाणित होता हो। ऐसी स्थिति मे गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान वादग्रस्त भूमि ख0न0 293 रकबा 0.26 है0 व ख0न0 299 रकबा 0.29 है0 ग्राम सलारपुर की मौके की स्थिति यथावत बनाए रखें, सायलान के कब्जे काश्त मे मजामहत नही करे एवं सायलान को उपरोक्त कृषि भूमि से बेदखल करने का प्रयास नही करे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 27.7.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:21 IST
Reason: SelfAttested